सम्मुख एस. मुरलीधर व अवनीश झिंगन, जेजे।

सुभाष चन्द्र – याचिकाकर्तागण

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य – प्रतिवादीगण

सीडब्ल्यूपी न. 8629 ऑफ़ 2019

दिसंबर 21, 2020

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013-धारा एस.24 (2)-मुआवजे का कथित रूप से भुगतान न करने और भूमि का कब्जा न लेने के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाता है-विचाराधीन भूमि को भी छोड़ने की मांग करते हुए-रिलायंस ने इंदौर विकास प्राधिकरण वी. मनोहरलाल (ए.आई.आर. 2020 एस.सी. 1497) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया – माना गया कि कब्जा ले लिया गया था और रपट न. 383 द्वारा अवार्ड की तारीख को ही संपदा अधिकारी, हुडा को सौंप दिया गया था, याचिकाकर्ता का यह दावा कि भूमि खाली पड़ी थी और उसके कब्जे में अप्रयुक्त पड़ी थी, उचित नहीं था एलएसी के पास पड़ी याचिकाकर्ता को दी गई मुआवजा राशि-एडीजे के न्यायालय में जमा की गई बढ़ी हुई मुआवजा राशि, याचिकाकर्ता यह आग्रह नहीं कर सका कि शर्त के संबंध में मुआवजे का भुगतान न करने को पूरा माना गया, क्योंकि याचिकाकर्ता का भूमि को छोड़ने का मामला गलत दावे पर आधारित था कि धारा 24 (2) के तहत नकारात्मक शर्तें उसके मामले में पूरी हुईं, उत्तरदाताओं ने उसके प्रतिनिधित्व को खारिज करने में सही किया - याचिका खारिज।

यह माना गया गया कि जहां तक विचाराधीन भूमि के कब्जे का संबंध है, यह प्रतिवादी संख्या 1 और 7 के लिखित बयान से देखा जाता है कि कब्जा ले लिया गया था और 12 मई, 2006 को ही ले लिया गया था और एस्टेट अधिकारी, हुडा को सौंप दिया गया था, यानी रपट संख्या 383 द्वारा अवार्ड की तारीख को ही । याचिकाकर्ता का यह दावा कि भूमि खाली और अप्रयुक्त पड़ी है और इसलिए 12 मई, 2006 के बाद भी याचिकाकर्ता के पास कब्जा बना हुआ है, मनोहरलाल (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को देखते हुए मान्य नहीं हैः

> "245. प्रश्न जो उत्पन्न होता है कि क्या 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने और धारा 24(2) में उपयोग की गई "भौतिक कब्जा" अभिव्यक्ति के बीच कोई अंतर है । वास्तव में, 1894 के अधिनियम के तहत क्या विचार किया गया था,

> कब्जा लेने का अर्थ केवल भूमि पर भौतिक कब्जा करना था। 2013 के अधिनियम के तहत कब्जा लेना हमेशा भूमि पर भौतिक कब्जा करने के बराबर होता है। जब राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है और कब्ज़ा लेने का एक ज्ञापन तैयार करती है, तो यह भूमि का भौतिक कब्ज़ा लेने के बराबर होता है | संपत्ति के बड़े हिस्से पर या अन्यथा अर्जित की गई संपत्ति पर, सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस बल को अपने कब्जे में रखे और उस पर तब तक खेती करना शुरू कर दे जब तक कि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए इसे अधिग्रहीत किया गया है। एक बार कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए जांच कार्यवाही शुरू करने के बाद सरकार को उस पर निवास करना शुरू नहीं करना चाहिए या उस पर भौतिक रूप से कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। इसके बाद, यदि भूमि को आगे बनाए रखा जाता है या भूमि पर कोई पुन: प्रवेश किया जाता है या कोई खुली भूमि पर खेती शुरू कर देता है या आउटहाउस आदि में निवास करना शुरू कर देता है, तो उसे राज्य के कब्जे वाली भूमि पर अतिक्रमणकारी माना जाएगा। अतिक्रमी का कब्ज़ा हमेशा वास्तविक मालिक यानी राज्य सरकार के लाभ के लिए होता है।"
>
> (पैरा 15)

यह माना गया कि भुगतान न करने के संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका के संबंध में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में दी गई मुआवजा राशि एलएसी के पास पड़ी है और याचिकाकर्ता द्वारा नहीं ली गई है। याचिकाकर्ता ने मुआवज़े में बढ़ोतरी के लिए एडीजे, हिसार के समक्ष धारा 18 एलएए के तहत एक याचिका भी दायर की थी, जो उसे 31 मई, 2011 के आदेश द्वारा प्रदान की गई थी। कहा गया है कि बढ़ी हुई मुआवज़ा राशि एडीजे. की अदालत में जमा कर दी गई है। मुआवज़े की प्राप्ति के संबंध में यह स्थिति होने के कारण, याचिकाकर्ता अब यह आग्रह नहीं कर सकता कि मुआवज़े का भुगतान न करने के संबंध में शर्त पूरी हो, विशेष रूप से मनोहरलाल (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रकाश में:

> "363 (4)। 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में 'भुगतान किया गया' शब्द में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। गैर-जमा का परिणाम धारा 24(2) के प्रावधान में प्रदान किया गया है यदि अधिकांश भूमि जोत के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है, तो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तिथि के अनुसार सभी लाभार्थी (जमींदार) अधिनयम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

2013 के अधिनियम के अनुसार यदि भूमि अधिग्रहण अधीनधारा 31 अधिनियम 1894 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधीनधारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान अधीनधारा 4 ऑफ़ अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

(5) यदि किसी व्यक्ति को अधीनधारा 31(1) ऑफ़ अधिनियम 1894 के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण अधीनधारा 24(2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व अधीनधारा 31(1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को

प्रतिग्रहण करना करने से इंकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही अधीनधारा 24(2) ऑफ़ अधिनियम 2013 के तहत समाप्त हो गई थी ।"

(पैरा 16)

यह माना गया कि वर्तमान मामले में अधीनधारा 24(2) ऑफ़ अधिनियम 2013 के तहत किसी भी नकारात्मक शर्त को पूरा नहीं किया गया है, उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में मान ली गई समाप्ति की घोषणा के लिए पहली प्रार्थना को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

(पैरा 17)

यह माना गया कि 30 जनवरी, 2018 के विवादित आदेश का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने में सही था। तथ्य यह है कि अपने अभ्यावेदन में छोड़ने के लिए याचिकाकर्ता का मामला मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि उसके मामले में अधीनधारा 24(2) के तहत नकारात्मक शर्तों को पूरा किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में दोनों शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दूसरी प्रार्थना को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

(पैरा 18)

संत कश्यप, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए

अंकुर मित्तल, ए.ए.जी., हरियाणा
प्रतिवादीओं के लिए

डॉ. एस. मुरलीधर, ज.

सीएम-8036-2020

(1) यह 2019 की मुख्य रिट याचिका सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8629 की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादी/राज्य की ओर से एक आवेदन है।

(2) उसमें बताए गए कारणों के लिए, रिट याचिका पर आज ही सुनवाई की जाती है। आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8629 ऑफ़ 2019

(3) यह रिट याचिका उस भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देती है जो 19 मई, 2003 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ('एलएए') की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के साथ शुरू हुई थी, जो अधीनधारा 6 एलएए के तहत 14 मई, 2004 को एक घोषणा थी और जिसका समापन 12 मई, 2006 को भूमि 7 कनाल और 14 मरला अंदरुन खसरा संख्या 132/9/2(4-14), 132/9/1(2-18), 132//2/2(6-0) और 132//2/1/2(1-16) गाँव हिसार, तहसील व जिला हिसार (इसके बाद, 'विचाराधीन भूमि') के संबंध में एक अवार्ड हुआ था। पहला अनुरोध विचाराधीन भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद, '2013 अधिनियम') में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधीनधारा 24(2) के तहत मानित समाप्ति की घोषणा के लिए है। दूसरी प्रार्थना 30 जनवरी, 2018 के उस आदेश को रद्द करने के लिए है जो क्षेत्रीय प्रशासक-सह-अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, हिसार/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के 27 अगस्त, 2015 के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था ।

(4) याचिकाकर्ता को विचाराधीन भूमि का मालिक बताया गया है। रिट याचिका में यह कहा गया है कि विचाराधीन भूमि हुडा अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण अनुपयोगी, अप्रयुक्त और खाली पड़ी है और याचिकाकर्ता के पास विचाराधीन भूमि का कब्जा बना हुआ है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने

अधीनधारा 5-ए एलएए के तहत धारा 4 एलएए अधिसूचना पर अपनी आपत्तियां दायर कीं, लेकिन याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना प्रतिवादीओं द्वारा उन्हें खारिज कर दिया गया। याचिका में आगे यह कहा गया है कि न तो याचिकाकर्ता को विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजा प्राप्त हुआ है और न ही इसे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एलएसी) द्वारा अदालत में जमा किया गया है।

(5) याचिका के पैरा 2 (जी) में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 2013 के अधिनियम के बारे में पता चलने के बाद, उसने 1 जून, 2014 को एलएसी को विचाराधीन भूमि को छोड़ने के लिए एक अभ्यावेदन दिया ।

छोड़ने के ऐसे अनुरोध का आधार यह था कि भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और न तो याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया गया था और न ही अदालत में जमा किया गया था, इसलिए 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

(6) जब प्रतिवादी ने उपरोक्त अभ्यावेदन का निर्णय नहीं किया, तो याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 12861 ऑफ़ 2015 दायर कर अनुरोध किया कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के संदर्भ में मानित व्यपगत होने की घोषणा जारी की जाए। उस रिट याचिका का निपटारा 2 जुलाई, 2015 के एक आदेश द्वारा किया गया, जिसका संचालन भाग इस प्रकार हैः

"4. याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ता को सुनने के बाद, वर्तमान याचिका पर विचार करने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम याचिकाकर्ता को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष वर्तमान रिट याचिका में उठाई गई सभी याचिकाओं को उठाते हुए एक विस्तृत और व्यापक प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता देकर वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं। यह निर्देश दिया जाता है कि आज से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दायर किए जाने की स्थिति में, एक स्पष्ट आदेश पारित करके और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे को साबित करने के लिए किसी भी तरह की गवाही प्रस्तुत करने का हकदार होगा। जब तक उक्त प्राधिकारी द्वारा मामले का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, तो उसके बाद अंतरिम आदेश का संचालन बंद हो जाएगा ।"

(7) इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 27 अगस्त, 2015 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस अन्य बातों के साथ साथ अनुरोध किया गया कि 2013 अधिनियम की धारा 24(2) को ध्यान अन्य बातों के साथ साथ रखते हुए विचाराधीन भूमि को छोड़ा किया जाए। इस अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया गया था कि धारा 4 एलएए के तहत अधिसूचना जारी करते समय और साथ ही धारा 11 एलएए के तहत अवार्ड पारित करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। जहां तक धारा 6 एलएए के तहत घोषणा का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि घोषणा अन्य बातों के साथ साथ विचाराधीन भूमि को शामिल करने अन्य बातों के साथ साथ याचिकाकर्ता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था, जबकि कुछ समान रूप से स्थित व्यक्तियों की भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा गया था।

(8) उस प्रतिवादी संख्या 4 के अभ्यावेदन को को 30 जनवरी, 2018 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश का

अवलोकन करने से पता चलता है कि आदेश दिनांक 2 जुलाई 2015 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12861 ऑफ़ 2015 में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के प्रशासक की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया था जो स्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। कहा जाता है कि समिति ने 13 जनवरी, 2016 को स्थल का दौरा किया था। याचिकाकर्ता के बारे में यह भी कहा गया था कि वह समिति के निरीक्षण के समय मौजूद था और उसने समिति को अपना बयान दिया था।

(9) अंततः समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में, विचाराधीन भूमि को छोड़ने की सिफारिश नहीं की गई थी। यह नोट किया गया कि जबकि स्थल निरीक्षण से पता चला कि भूमि अप्रयुक्त पड़ी थी, इसका कब्जा हुडा के पास था। इसके अलावा, 12 मई, 2006 के अधिनिर्णय द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे का 92 प्रतिशत संबंधित भूमि मालिकों को भुगतान कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के लिए विशिष्ट, यह उल्लेख किया गया था कि "याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन एक विशिष्ट खाते में रखा गया है। जबकि बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान 45,11,937.00 एडीजे हिसार की अदालत में 28.08.2012 को एलए केस नंबर 224/06 में जमा किया गया है। समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया गया, जिसने विचाराधीन भूमि को ना छोड़ने की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया ।

(10) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उपरोक्त आक्षेप पारित किए जाने के लगभग एक साल बाद, 22 फरवरी, 2019 को वर्तमान याचिका दायर की गई, जिसमें राहत के लिए प्रार्थना की गई, जिसका उल्लेख पहले किया गया था। जब याचिका को 1 अप्रैल, 2019 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो इसे विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए 3 सितंबर, 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, 3 सितंबर, 2019 को याचिका को एसएलपी के परिणाम की प्रतीक्षा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

(11) 4 दिसंबर, 2019 को प्रतिवादी संख्या 1 और 7 की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया था, जिस पर आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि धारा 4 एलएए के तहत अधिसूचना को विधिवत प्रचारित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा धारा 5ए के तहत कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी। जिन उदाहरणों में ऐसी आपत्तियां दायर की गई थीं, उन पर विचार किया गया और संबंधित भूमि मालिकों को भी सुना गया। इसके बाद 6.23 एकड़ भूमि को छोड़ने का निर्णय लिया गया, जिस पर धारा 4 एलएए अधिसूचना जारी करने से पहले निर्माण कार्य मौजूद थे। इसके अलावा, 31 जुलाई, 2018 के एक पत्र द्वारा, धारा 4 की अधिसूचना जारी होने से पहले जिन लोगों ने अपनी भूमि पर निर्माण किया था, उनके मामलों में एक और 12.91 एकड़ जमीन छोड़ी गई थी। यह आगे कहा गया है कि विचाराधीन भूमि का कब्जा रपट नं.

383 द्वारा बहुत पहले 12 मई, 2006 को यानी अवार्ड की तारीख को ही हुडा के संपदा अधिकारी को सौंप दिया गया था।

(12) याचिकाकर्ता की याचिका के लिए विशिष्ट कि भूमि अप्रयुक्त पड़ी है और इसलिए इसे जारी किया जाना चाहिए, प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 8 में निम्नानुसार कहा गया हैः

> "विचाराधीन भूमि धारा की योजना को प्रभावित करती है अर्थात 6 मरला श्रेणी के 32 प्लाट, 2 नम्बर 2 मीटर। चौड़ी आंतरिक सड़कें, 12 मीटर।सेक्टर डाइविंग रोड के साथ चौड़ी सड़क और सेक्टर डिवाइडिंग रोड को चौड़ा करना, इसलिए इसे अधिग्रहण से नहीं छोड़ा जा सकता है। विकास कार्य/सड़क आदि का निर्माण प्रक्रिया में है और उप-मंडल अभियंता एचएसवीपी, उप-मंडल सं. III, हिसार, एसडब्ल्यूडी की मुख्य लाइन बिछाई गई है। लेआउट योजना की प्रति इसके साथ संलग्नक आर-2 के रूप में संलग्न है ।"

(13) जहां तक मुआवजे की प्राप्ति न होने के संबंध में याचिकाकर्ता के कथन का संबंध है, यह कहा गया है कि जबकि मुआवजे के रूप में 22,43,022/-रूपये प्रारंभिक रूप से उत्तरवादी के पास पड़ा है और याचिकाकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया है, बढ़ा हुआ मुआवजा 45,11,937/- रुपये याचिकाकर्ता द्वारा दायर धारा 18 एलएए याचिका में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार (एडीजे) की अदालत ने 31 मई, 2011 को एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दिया गया, जिसे 28 अगस्त, 2012 को एडीजे की अदालत में जमा किया गया है।

(14) न्यायालय ने पक्षकारों के माननीय अधिवक्ताओं को सुना है। जिन आधारों पर 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत मानित व्यपगत होने की घोषणा की गई है, उनमें से कोई भी याचिकाकर्ता द्वारा 6 मार्च, 2020 को **इंदौर विकास प्राधिकरण** बनाम **मनोहरलाल** मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बाद आग्रह करने के लिए उपलब्ध नहीं है ।

(15) जहाँ तक विचाराधीन भूमि के कब्जे का संबंध है, यह प्रतिवादी संख्या 1 और 7 के लिखित बयान से देखा जाता है कि कब्जा ले लिया गया था और 12 मई, 2006 को एस्टेट अधिकारी, हुडा को सौंप दिया गया था, यानी रपट संख्या 383 द्वारा अवार्ड की तारीख को ही। याचिकाकर्ता का यह दावा कि भूमि खाली और अप्रयुक्त पड़ी है और इसलिए 12 मई, 2006 के बाद भी याचिकाकर्ता के पास कब्जा बना हुआ है, मनोहरलाल (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को देखते हुए मान्य नहीं हैः

> "245. सवाल जो उठता है कि क्या कोई

एआईआर 2020 एससी 1496

> अंतर 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने और धारा 24(2) में उपयोग की गई "भौतिक कब्जा" अभिव्यक्ति के बीच है । वास्तव में, 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का मतलब केवल भूमि पर भौतिक कब्जा करना था । 2013 के अधिनियम के तहत कब्जा लेना हमेशा भूमि पर भौतिक कब्जा करने के बराबर होता है।ज ब राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है और कब्जा लेने का ज्ञापन तैयार करती है, तो यह भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर होता है। संपत्ति के बड़े हिस्से पर या अन्यथा जो अधिग्रहित किया जाता है, सरकार से इसे बनाए रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस बल को कब्जे में नहीं रखना चाहिए और जब तक उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है, तब तक इसकी खेती शुरू

करनी चाहिए। एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद सरकार को कब्जा प्राप्त करने के लिए जाँच कार्यवाही शुरू करके उस पर रहना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू नहीं करना चाहिए। इसके बाद, यदि भूमि का कोई और संरक्षण या भूमि पर कोई पुनः प्रवेश किया जाता है या कोई खुली भूमि पर खेती करना शुरू कर देता है या आउटहाउस आदि में रहना शुरू कर देता है, तो उस भूमि पर अतिक्रमण करने वाला माना जाता है जो राज्य के कब्जे में है। अतिक्रमणकारी का कब्जा हमेशा वास्तविक मालिक यानी मामले में राज्य सरकार के लाभ के लिए होता है।"

(16) जहां तक भुगतान न करने के संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका का संबंध है, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में दी गई मुआवजे की राशि एलएसी) के पास है और याचिकाकर्ता द्वारा इसे नहीं उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने मुआवजे में वृद्धि के लिए एडीजे, हिसार के समक्ष अधीनधारा 18 एलएए के तहत एक याचिका भी दायर की थी, जो उन्हें 31 मई, 2011 के आदेश द्वारा दी गई थी। कहा जाता है कि बढ़ी हुई मुआवजे की राशि एडीजे के न्यायालय में जमा की गई है। मुआवजे की प्राप्ति के संबंध में यह स्थिति होने के कारण, याचिकाकर्ता अब यह आग्रह नहीं कर सकता है कि मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में शर्त पूरी हो, विशेष रूप से मनोहरलाल (उपरोक्त) में निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में:

"363(4). 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में 'भुगतान' अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न करने का परिणाम धारा 24(2) के प्रावधान में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) अधिसूचना की तारीख तक

के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का हकदार होगा। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

(5) यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम अधीनधारा 31(1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण खंड 24(2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31(1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को प्रतिग्रहण करना करने से इंकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम की खंड 24(2) के तहत समाप्त हो गई थी।"

(17) वर्तमान मामले में 2013 की धारा 24(2) के तहत किसी भी नकारात्मक शर्त को पूरा नहीं किया गया है, उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में मान ली गई समाप्ति की घोषणा के लिए पहली प्रार्थना को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

(18) 30 जनवरी, 2018 के विवादित आदेश पर विचार करने के बाद, न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने में सही था। तथ्य यह है कि अपने अभ्यावेदन में रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि उसके मामले में धारा 24 (2) के तहत नकारात्मक शर्तों को पूरा किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में दोनों शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दूसरी प्रार्थना को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

(19) रिट याचिका खारिज की जाती है, लेकिन उन परिस्थितियों में जिनमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |